Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्री गंगानगर में कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद् चूरू को 5,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार**

जयपुर दिनांक 18 फरवरी 2026, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **सुभाष चन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद् चूरू** को सह परिवादी से उसकी ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023-24 के मनरेगा के तहत करवाये गये कार्यों के पेण्डिग भुगतान करवाने की एवज में 5,000/- **रूपये** बतौर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी श्रीगंगानगर को परिवादी की एक शिकायत इस आशय की मिली कि उसकी ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023-24 के मनरेगा के तहत करवाये गये कार्यों के पेण्डिग भुगतान करवाने की एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर 10,000/- रूपये फोन पे से ऑनलाईन लेने, बाकी शेष 5,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है एवं नही देने पर भुगतान नही करवाने की धमकी देकर परेशान कर रहा है।

जिस पर एसीबी के **महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एवं **श्री भुवन भूषण यादव उप महानिरीक्षक पुलिस**, भ्रनिब्यूरो रेंज बीकानेर के निर्देशन में एसीबी श्रीगंगानगर के **श्री पवन कुमार मीणा अति. पुलिस अधीक्षक** भ्रनिब्यूरो, श्रीगंगानगर के नेतृत्व में आज **श्री राजेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक** एवं ब्यूरो स्टाफ ने ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी सुभाष चन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद् चूरू को सह परिवादी से 5,000/- रूपये बतौर रिश्वत रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।